(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 26/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई, 2018

सा.का.नि. (अ)- जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "पेरेक्सोसल्फेट (परसल्फेट)" के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2013, सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 16 मई, 2013 जिसे सा.का.नि. 318 (अ) दिनांक 16 मई, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) की दृष्टि से और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में अधिसूचना संख्या 7/5/2018-डीजीएडी, 20 मार्च, 2018 के तहत सनसैट रिव्यू जांच कर कार्य शुरू किया है.

अत: अब उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त नियमावली के नियम 23 के अनुपालन में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2013, सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 16 मई, 2013, जिसे सा.का.नि. 318 (अ) दिनांक 16 मई, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है; यथा

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"2क. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद यह अधिसूचना 14 मई, 2019 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी बशर्ते कि इसके पहले इसे वापस न ले लिया जाए ." .

[फा.सं. 354/195/2013-टीआरयू (भाग-1)]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2013, सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 16 मई, 2013 को सा.का.नि. 318 (अ), दिनांक 16 मई, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।